मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2673
09.03.2026 को उत्तर के लिए

पर्यावरण मंजूरी के कारण लंबित परियोजनाएं

2673. श्रीमती मंजू शर्मा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की विभिन्न लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में केंद्र सरकार के पास लंबित हैं;
(ख) यदि हाँ, तो राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसी लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब से सरकार के विचाराधीन हैं;
(ग) पर्यावरणीय मंजूरी देने में देरी के क्या कारण हैं;
(घ) चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त लंबित परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं को, उनके कृषि योग्य नियंत्रण क्षेत्र की परवाह किए बिना, 'ख' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, जिन मामलों में ईआईए अधिसूचना, 2006 के संदर्भ में सामान्य स्थिति लागू होती है, ऐसे परियोजनाओं को श्रेणी 'क' माना जाता है और उनका मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए मंत्रालय के पास केंद्रीय स्तर पर कोई भी लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना लंबित नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान वर्ष के दौरान आज तक मंत्रालय द्वारा किसी भी लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना को केंद्रीय स्तर पर ईसी प्रदान नहीं की गई है।

*****